



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128833

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16631/2026

मनदीप उर्फ प्रदीप

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: विजय प्रकाश चतुर्वेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. पुलिस आख्या के आधार पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि जमानत आवेदन की लंबितता के संबंध में प्रथम सूचनाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस तामील कराई गई है। नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, वर्तमान जमानत आवेदन का प्रतिवाद करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

3. आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 89/2025 तहत धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस. एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना के साथ दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2025 को जारी आयु प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 19 वर्ष से अधिक थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता एक वयस्क बालिका थी। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के तहत अभिलिखित उसके बयानों के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। उसने विवेचना के दौरान कथन किया कि वह विगत तीन वर्षों से आवेदक से प्रेम करती थी तथा उसने दिनांक 25.07.2025 को अपनी स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा और आवेदक के साथ मुंबई गई। तत्पश्चात्, एक मंदिर में उनका विवाह संपन्न हुआ, तथा वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे। पीड़िता ने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपनी स्वेच्छा से अपना घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परिवारजन उसका विवाह किसी अन्य लड़के से तय कर रहे थे। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता एक सहमत पक्षकार थी। आवेदक एवं पीड़िता तीन माह की अवधि तक मुंबई में रहे, किन्तु इस अवधि के दौरान उसके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। आवेदक के नाम एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 17 में समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 05.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

5. प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की याचना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, अतः, वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा कारावास की व्यतीत अवधि, तथा आपराधिक पूर्ववृत्त के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, और मामले के गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त किए बगैर, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के पक्ष में जमानत का मामला बनता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- मनदीप उर्फ प्रदीप को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय के समाधान पर, समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन याचित नहीं करेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय धारा 229-A भा.द.सं./धारा 269 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं./धारा 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि अनुसार धारा 174-A भा.द.सं./धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) आवेदक (1) मामले के आरम्भन, (2) आरोप विरचन, तथा (3) बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं./धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरसन का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षीगण के परिसाक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र अभिमत बनाने में किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"